न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –41/2014

वदीगण

1. मनरूपा पुत्र हीराजी
2. कन्हैयालाल पुत्र केवाजी
3. मृतक गोवाराम पिसरान केवाजी
   3/1 संगीतादेवी पत्नि गोवाराम उर्फ गोविन्दराम
   3/2 विहान पुत्र गोवाराम ना. बा. जरिये कुदरती वली माता संगीतादेवी पत्नि गोवाराम
4. नीतू पुत्री केवाजी
5. सीता देवी पत्नि केवाजी
6. मफा
7. हंसा पिसरान छोगाजी
8. जसी
9. पारू पुत्रीयान छोगाजी
10. झमूदेवी पत्नि छोगाजी जातियान मेगवंशी निवासीयान मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. कालूराम पुत्र गेनाजी साकिन मालवाडा
2. जोजू पुत्री गेनाजी पत्नि रताजी
3. सरमी पुत्री गेनाजी पत्नि डायाजी
4. त्रिजो पुत्री गेनाजी पत्नि ओखाजी
5. पवनी पुत्री गेनाजी पत्नि छगनाजी साकिनान पुरण तहसील जसवन्तपुरा
6. सुजी पुत्री गेनाजी पत्नि बगदाजी साकिन पंसेरी तहसील जसवंतपूरा
7. मृतक सोपू पुत्री गेनाजी पत्नि पीराजी वारीसानः–
   7/1. हरचन्द पुत्र पीराजी साकिन पुरण तहसील जसवतंपुरा तमाम जातियान मेगवंशी जिला जालोर
8. भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वदीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा।
3. राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 11.01.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक [illegible] धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत [illegible] तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा [illegible] से 7/1 [illegible] कब्जे

काश्त सामलाती आराजी नवीन खसरा नम्बर 639 रकबा 1.82हे. हे.किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मनरूपा वल्द हीरा कन्हैयालाल गोवाराम पि. केवाराम नीतू पुत्री केवाराम सीतादेवी पत्नि केवाराम कालूराम वल्द गेना मु.मट्टू बेवा गेना मफाराम हंसा राम पिसरान छोगाराम जसी पारू पुत्री छोगाराम झमुदेवी पत्नि छोगा राम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 चौपाजी के वंशज है तथा चौपाजी व उनके पुत्र हीरा गेना व छोगा फौत हो चुके है तथा वादीगण संख्या 1 से 5 स्व. चौपाजी के पुत्र हीराजी के वारीसान व वादी संख्या 6 से 10 स्व.चौपाजी के पुत्र छोगाजी के वारीसान व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 स्व.चौपाजी के पुत्र गेनाजी के कायम मुकाम वारीसान है। इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 6 से 10 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है। उक्त आराजी के सहखातेदार मटु पत्नि गेनाजी फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 उक्त मटु के कायम मुकाम वारीसान है। उक्त विवादीत आराजी मौजा मालवाडा के नवीन खसरा नम्बर 639 रकबा 1.82हे. आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7/1 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है तथा उक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 के विधिवत बंटवाडा नही हुआ है तथा उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 के सामलाती पुराना बेरा खुदा हुआ है तथा उक्त बेरे पर वादी संख्या 6 से 10 के पूर्वाधिकारी छोगा पुत्र चोपाजी के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है तथा वादी संख्या 6 से 10 अपने उक्त विद्युत कनेक्शन को अन्यत्र शिफ्ट करवाना चाहते है, जिस हेतु एक आवेदन पत्र भी जो.वि.वि. नि.लि.रानीवाडा के कार्यालय में पेश किया हुआ है। जिसकी भनक प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम को लगने पर कालूराम ने उक्त विद्युत कनेक्शन को शिफ्ट नहीं करने हेतु एक प्रार्थना पत्र विद्युत विभाग रानीवाडा के कार्यालय में पेश किया है तथा उक्त आराजी हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 के संयुक्त खातेदारी की होने का फायदा उठा कर प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विद्युत कनेक्शन को शिफ्ट नही करने दिया है तथा वादीगण द्वारा दिनांक 13.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 को आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को कहा कि मै उक्त आराजी का दीगर प्रतिवादी संख्या 2 से 7/1 से मिलावट कर आपसी सहमति से बंटवाडा नहीं करवाने दूगां तथा अच्छे किस्म की सडक के लगतो लगत भूमी पर स्थाई कब्जा कर दूगां, जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि उक्त आराजी हमारे संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है तथा प्रत्येक इंच भूमी पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हक है तथा तुम आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाडा करवा दो तो प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से मना कर दिया। विवादीत आराजी वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है तथा उक्त आराजी में वादी संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 6 से 10 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 का 1/3 हिस्सा है। इसलिए वादीगण उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कि आधार पर उक्त आराजी का बंटवाडा करवा कर उक्त आराजी में से वादी संख्या 1 से 5 उक्त आराजी में से 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 6 से 10 उक्त आराजी में से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 उक्त आराजी में से 1/3 हिस्सा बंटवाडा कर अलग [illegible] के अधिकारी है। इसलिये उक्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के [illegible] बंटवाडा कर उक्त आराजी में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 से 5 को व 1/3 हिस्सा वादी संख्या 6 से 10 को तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 को अलग अलग बंटवाडा में दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

न्याय हित में आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 2 से 7/1 उक्त आराजी के सहखातेदार मटु बेवा गेनाजी के वारीसान होने से उन्हे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दावा हाजा बंटवाडा खातेदारी आराजी का होने के कारण उक्त आराजी में उनका भी हित निहित होने से उन्हें बतौर प्रतिवादी पक्षकार दावा हाजा में जोडा गया है तथा वादीगण के पास अन्य कोई उपचार नहीं होने से वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा विभाजन करने खातेदारी आराजी का पेश है।

2. वादीगण की इस्तदुआ यह है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 639 रकबा 1.82हे. का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 के बीच बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादीगण संख्या 1 से 5 को 1/3 तथा वादीगण संख्या 6 से 10 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 को 1/3 हिस्सा अलग अलग उक्त आराजी के पश्चिम में स्थित सडक पर एक समान बंट में दिया जावें तथा इस माफिक लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदारजी रानीवाडा को लिखा जावे।

3. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रतिवादीगण संख्या 1 ,3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब दिया गया। संख्या 1 व 2 ,6, 7/1 बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. दिनांक 06.12.2017 को तनकीयात एक्सप्लेन की गई। तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 6.3.2018 को मफाराम व 24.01.2019 को मनरूपा की साक्ष्य करवाई गई। तथा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.08.2019 को कालूराम की साक्ष्य करवाई गई।

5. दिनांक 05.02.2020 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,3 से 5 के अधिवक्तागण के निवेदन पर न्यायालय द्वारा खातेदारो को रास्ते की सुविधा देते हुए हक हिस्से व कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए मौजा मालवाडा के खसरा नम्बर 639 रकबा 1.82 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक 105 दिनांक 25.02.2020 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/05 दिनांक 11.01.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	कालुराम पुत्र गेना, मटु पत्नि गेना कौम मेघवाल साकिन मालवाडा	639	1.82	0.61	बारानी दोयम	गुलाबी	नियमानूसार
2.	मफाराम पुत्र छोगाराम, हंसाराम पुत्र छोगाराम, जसी पुत्री छोगाराम, पारू पुत्री छोगाराम कौम मेघवाल सा0 मालवाडा	639	1.82	0.61	बारानी दोयम	हरा	नियमानूसार
3.	कदणादेवी पत्नि मनरूपा, कन्हेयालाल पुत्र केवाराम, नीतू पुत्री केवाराम, रमेश पुत्र मनरूपा, रसीला पुत्री मनरूपा, लक्ष्मी पुत्री मनरूपा, विसन पुत्र गोवाराम, संगीता पत्नि गोवाराम, सविता पुत्री मनरूपा, सीतादेवी पत्नि केवाराम कौम मेघवाल सा0 मालवाडा	639	1.82	0.60	बारानी दोयम	केसरिया	नियमानूसार

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमी या नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को प्रति भेजी जावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मनरूपा पुत्र हीराजी 2. कन्हैयालाल पुत्र केवाजी 3. मृतक गोवाराम पिसरान केवाजी 3/1 संगीतादेवी पत्नि गोवाराम उर्फ गोविन्दराम 3/2 विहान पुत्र गोवाराम ना.बा. जरिये कुदरती वली माता संगीतादेवी पत्नि गोवाराम 4. नीतू पुत्री केवाजी 5. सीता देवी पत्नि केवाजी 6. मफा 7. हंसा पिसरान छोगाजी 8. जसी 9. पारू पुत्रीयान छोगाजी 10. झमूदेवी पत्नि छोगाजी जातियान मेगवंशी निवासीयान मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	**बनाम**	1. कालूराम पुत्र गेनाजी साकिन मालवाडा 2. जोजू पुत्री गेनाजी पत्नि रताजी 3. सरमी पुत्री गेनाजी पत्नि डायाजी 4. त्रिजो पुत्री गेनाजी पत्नि ओखाजी 5. पवनी पुत्री गेनाजी पत्नि छगनाजी साकिनान पुरण तहसील जसवन्तपुरा 6. सुजी पुत्री गेनाजी पत्नि बगदाजी साकिन पंसेरी तहसील जसवंतपूरा 7. मृतक सोपू पुत्री गेनाजी पत्नि पीराजी वारीसानः– 7/1. हरचन्द पुत्र पीराजी साकिन पुरण तहसील जसवतंपुरा तमाम जातियान मेगवंशी जिला जालोर 8. भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 41/2014

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 8 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 व 3 से 5 की ओर वकील श्री श्रवणसिंह देवड़ा उपस्थित ,प्रतिवादी संख्या 2, 6 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7/1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	कालुराम पुत्र गेना, मटु पत्नि गेना कौम मेघवाल साकिन मालवाडा	639	1.82	0.61	बारानी दोयम	गुलाबी	नियमानुसार
2.	मफाराम पुत्र छोगाराम, हंसाराम पुत्र छोगाराम, जसी पुत्री छोगाराम, पारू पुत्री छोगाराम कौम मेघवाल सा0 मालवाडा	639	1.82	0.61	बारानी दोयम	हरा	नियमानुसार
3.	कदणादेवी पत्नि मनरूपा, कन्हेयालाल पुत्र केवाराम, नीतू पुत्री केवाराम, रमेश पुत्र मनरूपा, रसीला पुत्री मनरूपा, लक्ष्मी पुत्री मनरूपा, विसन पुत्र गोवाराम, संगीता पत्नि गोवाराम, सविता पुत्री मनरूपा, सीतादेवी पत्नि केवाराम कौम मेघवाल सा0 मालवाडा	639	1.82	0.60	बारानी दोयम	केसरिया	नियमानुसार

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11.01.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	1	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	2	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	2	00	**मौजाना**	5	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested